कार्यालय,
जनपद, जनपदीय शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- जनपद/परिषद सम्बद्धता/2020/सत्र। लखनऊ: दिनांक: 15-6-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

जनपद स्तरीय समन्वयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/स्थानीय जनपदीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न स्तरीय सम्बन्धी विद्यालय सम्बन्धों का अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त जनपदीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2020 को आयोजित जनपदीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की कार्यवाही में परिषद कार्यालय में प्रेषित कार्यवाही (पूर्व) विवरण के समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनापत्ति नई सम्बन्धों की सम्बद्धता/पूर्व में सत्यापित सम्बन्धों का सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/परिषद कार्यालय पुष्टि सहित अन्य सभी का विवरण प्रेषित कर वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुसार में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र.-3 में विभिन्न द्वारा सत्यापित प्रस्तुत सम्बन्धों पत्रावलियों अपनी पूर्व में सम्बद्ध सम्बन्धों का सत्यापन किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विवरण-विवरणी का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" जिन्हीं क्षेत्र में सम्बन्धित विद्यालय द्वारा कार्यालय पत्रावलियों सत्यापित करने वाली संस्थाएं, जो जनपदीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, वर्ष सत्र 2020-21 हेतु परिषदकार्यालय द्वारा जारी पत्रावली अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में परिषदकार्यालय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके सत्र के सम्पूर्ण अंकित पत्रावली/प्रवेश सम्बन्ध के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं परिषदकार्यालय से परिषदकार्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-06-2020 की संयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार के विषय में जनपद की जनपदीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सभी के अंकित पत्रावली एवं सभी अंकित शर्तों सहित सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	जनपद/अंकित	संस्था का नाम	सम्बद्धता का प्रकार	परिषदकार्यालय द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रदत्त सम्बन्ध	परिषदकार्यालय/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अंकित सम्बन्ध
1	[illegible]	[illegible]	विस्तार द्वारा पत्रावली	[illegible]	[illegible]

सम्बन्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पत्रावली/परिषदकार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रदत्त अंकित जनपदीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा जनपदीय शिक्षा परिषद विनियमावली 2020, संगठन विनियमावली-2020 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर अंकित प्रवेशित पत्रावलियों हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष, ली जाने वाली पत्रावली सत्यापन हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष एवं एक बार की अंकित पत्रावली (1) अंकित पत्रावली सत्यापन के प्रतिनिधित्व हेतु रू0 [illegible]

[illegible]
Secretary
Secondary Education Board
Lucknow

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

(डॉ. [illegible])
[illegible]

पृ.क्र.- [illegible]/[illegible]/2024/ [illegible] [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि-[illegible]/निदेशक, [illegible] [illegible], [illegible]।

(डॉ. [illegible])
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] चिकित्सा शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– [illegible] सम्बद्धता/2021/2027 लखनऊ: दिनांक: [illegible]

(सम्बद्धता प्रमाण)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का दिनांक [illegible] अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा संशोधित सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त चिकित्सा शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु महाविद्यालय नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को चिकित्सा शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित पाठ्यक्रमों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का संक्षिप्त पूर्ण नाम : AZIZ-ANSARI PARAMEDICAL COLLEGE & INSTITUTE, JAUNPUR

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआरसीपीसीएम/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआरसीपीसीएम/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा परिषद् एक्ट 1992 तथा चिकित्सा शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, परिषद् विनियमावली 2006 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन शुल्क तीन समिति इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रूपए 30,000/- प्रतिवर्ष, दो समिति इकाई पाठ्यक्रम हेतु रूपए 40,000/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो समिति पाठ्यक्रमों (2) समिति पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रूपए 22500/- प्रतिवर्ष मूल्यांकन शुल्क ही प्रवेश पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में संबंधित पत्र शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश उपयोगी होंगे, और अनुपालन कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की भरपाई दी जायेगी।
- ✓ संस्था को (2000) चिकित्सा शिक्षा अधिनियम तथा उत्तर अधिनियम, संशोधनों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की

[illegible]

[illegible]

विभिन्न में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

✓ संस्था की समस्त-समस्त पद निर्धारित मानकानुसार के अनुसार नियमित एवं संबद्धता मुक्त समय समय होंगे।

✓ संस्था की [illegible] के अनुसार नियमित एवं विशेष भरण अनिवार्य होगा।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न/नियमों/[illegible] एवं निदेशक, पारामेडिकल शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा पारामेडिकल शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा समय समय पर नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ नियमित एवं आकस्मिक पर्यवेक्षण की संस्था पर पारा.मे.शि.परि., नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त करने से आवश्यक पहली है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्तानुसार संबंध का शीघ्र और विधिक रूप से निर्धारण के कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार होगी। पारामेडिकल शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, पारामेडिकल शिक्षा निदेशालय एवं पारामेडिकल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई बात उत्तर विरुद्ध पाया जाता है तथा उत्तर पाठ के संबंध में यह न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिकूल संबंधित संस्था की कार्यवाही होगी।

✓ नियमित एवं आकस्मिक पर्यवेक्षण संबंधित करने वाली संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्राप्त होने के पूर्व परिषदों/आदेश के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (आयोजित) के संबंध में अथवा संस्था स्वयं या कोई प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नमित्तक आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था की अपने विकास एवं संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की शैक्षणिक भूमि, भवन, कक्ष-कक्षा, उपकरण, छात्रा विषय वाले कक्ष मुक्त, प्रयोगशाला मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था की नियमित/परिवीक्षण हेतु उपयुक्त कार्यालय उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक शैक्षणिक के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यालय सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में समस्त संबंधित पाठ्यक्रम की चलाने वाली हेतु निर्धारित मानकों के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संबंधित संस्था की सम्बद्धता तत्काल निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी।

✓ संस्था के समस्त शैक्षिक सत्र यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अन्य कक्ष-कक्षा एवं कार्यालय/[illegible]/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)

सचिव

पृ०सं०- सचिव/परिषद् सम्बद्धता/2021/2020-4898 दिनांक: [illegible]/2021

प्रतिलिपि-

उपरोक्त प्रतिलिपि AWADH PARAMEDICAL COLLEGE & INSTITUTE, JAUNPUR

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)

सचिव

PRINCIPAL
Awadh Paramedical College & Institute
Jaunpur, Sarkandiphar

कार्यालय,

अधि. अधिकृत चिकित्सा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– अधि०चि०परिषद सम्बद्धता/2022/7817 लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

(कार्यालय ज्ञाप)

अधिकृत भारतीय नर्सिंग चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय फार्मेसी अधिकृत अधिकृत, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों की अनुमतियां प्रदान किए जाने के उपरांत अधिकृत चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता निरस्त प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अधिकृत नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता निलम्बन/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नई पाठ्य सम्बद्धता सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता निरस्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मिशन संस्था को अधिकृत चिकित्सा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा कोर्स के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनकी अधिकृत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता निरस्त प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 6525-AWADH PARAMEDICAL COLLEGE & INSTITUTE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	फार्मेसी/नर्सिंग काउंसिल द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को फार्मेसी/नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अधिकृत चिकित्सा परिषद एक्ट 1962 तथा अधिकृत चिकित्सा परिषद विनियमावली 1963, विनियमावली 2000, डीमेड विनियमावली 2014 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु रू० 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-20,000.00/- प्रतिवर्ष मूल्यांकन शुल्क की प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम के प्रारंभ किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश लागू होंगे, और तदनुसार सर्टिफिकेट किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकृत चिकित्सा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया गया है, तो फीस की वसूलीयत दो माह होगी।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित कार्यों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को शासन-शासन एवं निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विनियमावली/अधिनियमावली/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा अधिकृत चिकित्सा परिषद, उ०प्र० द्वारा समय समय निर्गत विनियमों, अधिसूचनाओं एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का [illegible] के अनुसरण निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में संचालित उपरोक्तवर्णित संस्था का होल्ड और डिलिंक्स अन्य से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। उत्तरांचल शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तरांचल शिक्षा निदेशालय एवं उत्तरांचल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त मानक के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा उसके वाद के संबंध में न्य. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि अदेय निर्णय किया जाता है तो समस्त अतिरिक्त धनराशि संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु आवंटित काउंसिलिंग प्रवेश होने के पूर्व [illegible] के अनुसरण प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की [illegible] के पश्चात में प्रवेश परीक्षा के अवसर पश्चात प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उक्त प्रवेश संस्थान द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत परिपत्र आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था की अपनी विवेकाधार पर संस्था की उपयुक्त सुविधाएं जैसे संस्था की रोशनीयुक्त पूर्ण भूमि, भवन, छात्र-छात्रा, उपकरण, उपकरण किस प्रकार करने वाला सुरक्षा, प्रयोगशाला सुरक्षा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की निरीक्षण/प्रतिवेदन हेतु उपयुक्त आवासीय उपलब्ध कराने के साथ निरीक्षण दौरान के समय में संस्था आवासीय आवास सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम की चलाने करने हेतु निर्धारित संख्या के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये अनिवार्य भूमि-भवन, उपकरण, प्रयोगशाला इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को पूर्ववर्ती जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के शैक्षिक स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संसाधन [illegible] के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ मान्यता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(रमेश चन्द्र शर्मा)

सचिव

पृ०सं०- [illegible] **दिनांक:** [illegible]

प्रतिलिपि-

[illegible] **AAADH PARAMEDICAL COLLEGE & INSTITUTE**

(रमेश चन्द्र शर्मा)

सचिव

PRINCIPAL
Aaadh Paramedical College & Institute
Bareilly (U.P.)